

पचां डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलेक्टर  
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या -35 / 2024

अनवान :

1. उग्रसैन पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी चाहुवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. श्योपतराम पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी चाहुवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. रामरतन पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी चाहुवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

वनाम

1. लालचन्द पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी चाहुवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा

88 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति:- 1 अधिवक्ता श्री महेश गौड़

:- वादीगण

2 अधिवक्ता श्री सुनील शर्मा

:- प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 31/01/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादीगण श्री महेश गौड़ व सुनील शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि

क. वादी सं० 1 उग्रसैन को प्राप्त आराजी:- चकनं० 4 वी.आर.एन के खाता सं० 72 में संयुक्त खाता में दर्ज कुल 0.253 है० में प्रतिवादी सं० 1 लालचन्द का 1/2 हिस्सा, इसी चक के खाता सं० 68 में अंकित कुल 6.602 है० भूमि में से लालचन्द के 53/6602 हिस्सा, चकनं० 4 वी.आर.एन के खाता सं० 71 में प०न० 214/374 मु० 9 किलानं० 12,19/.506 है०, 22/2/.228, प०न० 214/375 मु० 18 किलानं० 17/.253 है०

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी


ख.वादी सं० 2 श्योपतराम को प्राप्त आराजी:-चकनं० 4 बी.आर.एन के प०न० 214/375 मु० 18 किलानं० 2,9,12,19,22/1.265 है०, 23/.109 है० पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण

ग.वादी सं० 3 रामरतन को प्राप्त आराजी:-चकनं० 4 बी.आर.एन के प०न० 214/375 मु० 18 किलानं० 13,18,24/.759, 3/.235 है० पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण, 8/.235 है० पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण, 23/.144 है० पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण

घ.वादीगण सं० 1 ता 3, उग्रसैन,श्योपतराम, रामरतन को व०हि०व० प्राप्त आराजी:7 चकनं० 4 बी.आर.एन के प०न० 214/375 मु० 18 किलानं० 3/.018, 8/.018 है० पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण

उपरोक्त अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता तकसीम कर रकम राज अलग से कायम की जाकर चकनं० 4 बी.आर.एन के खाता सं० 72, खाता सं० 68, खाता सं० 71 में से प्रतिवादी सं० 1 लालचन्द का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 31/01/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(सत्यनारायण एच.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
टिब्बी